2017/00034

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 10/2017

अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंण्ट

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार फलोदी

1. किशनी पत्नी चौथाराम
2. रामनारायण पुत्र मालाराम
सभी जाति विश्नोई निवासीगण
विश्नोई चक ढढु तहसील
फलोदी जिला जोधपुर
3. खीयाराम पुत्र हरूराम जाति
विश्नोई निवासी ढढु तहसील
फलोदी जिला जोधपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत ढढु

अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956
विरूद्ध ग्राम विश्नोई चक के नामांतरकरण संख्या 1277 दिनांक शून्य को ग्राम पंचायत ढढु द्वारा पारित किया गया।

अधिवक्तागण :—

1. अपीलांट स्वयं उपस्थित
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 30/1/20

अपीलांट की अपील का सांराश इस प्रकार है कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 28.19 बीघा में से रेस्पोडेंस संख्या 1 से 2 ने अपने हिस्सा में से कुल रकबा का 60/579 हिस्सा भूमि का बेचान दिनांक 28.02.2007 को प्रतिफल रूपये 16500/— में रेस्पोडेंटस संख्या 3 को किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढढु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 135 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 28.02.2007 के आधार पर ग्राम विश्नोई चक का नामांतरकरण संख्या 1277 ग्राम पंचायत ढढु द्वारा दिनाक शून्य को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजुद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामातरकरंण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ।

उपखण्ड अधिकारी,फलोदी

Scanned by CamScanner

अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 28.19 बीघा में से रेस्पोडेंस संख्या 1 से 2 ने अपने हिस्सा में से कुल रकबा का 60/579 हिस्सा भूमि का बेचान दिनांक 28.02.2007 को प्रतिफल रूपये 16500/– में रेस्पोडेंटस संख्या 3 को किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढढु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 135 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 28.02.2007 के आधार पर ग्राम विश्नोई चक का नामांतरकरण संख्या 1277 ग्राम पंचायत ढढु द्वारा दिनाक शून्य को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजुद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामातरकरंण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नामांतरकरण संख्या 1277, विक्रय पत्र, कुर्की आदेश एंव कब्जा प्राप्ति फर्द इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा भूमि न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 135 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। जो दस्तावेजात् से साबित है तथा उक्त कुर्की आदेश आज दिन तक बहाल है जिसकी जानकारी रेस्पोडेटस को होने के बावजुद उनके द्वारा दिनांक 28.02.2007 को बेचान किया गया इसलिये रेस्पोडेटस संख्या 1 ता 2 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 को किया गया बेचान मात्र कागजी बेचान है जिसमें भूमि का वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा का हस्तांतरण नही किया है। उक्त बेचान विधि सम्वत नहीं होने से उक्त बेचान के आधार पर भरा गया नामांतरकरण सख्या 1277 विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः ग्राम विश्नोई चक पटवार क्षेत्र ढढु तहसील के खसरा नम्बर 568 रकबा 26 बीघा में रेस्पोडेटस संख्या 1 ता 2 द्वारा रेस्पोडेटस संख्या 3 के हक में किये गये बेचान दिनांक 28.02.2007 के आधार पर रेस्पोडेंटस संख्या 3 के हक में भरा गया नामांतरकरण संख्या 1277 मौजा विश्नोई चक को खारिज किया जाता है। तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश पालना करावे। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/1/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.02.11 12:21:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: